न्यायालय– अपर जिला न्यायाधीश सं.–01, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी – दीपक पाराशर, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दाण्डिक निगरानी संख्या–109/2023
सी.आई.एस. नं.–175/2023
सीएनआर नं.– RJHG010021252023

मैनादेवी पत्नी बृजमोहन, निवासी सैक्टर नं० 3, हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

––निगराकार

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, हनुमानगढ़।

2. राजेन्द्र कुमार पुत्र रामनिवास, निवासी सैक्टर नं० 3. हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

3. अशोक कुमार पुत्र रामनिवास, निवासी सैक्टर नं० 3. हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

4. रमा पत्नि अशोक कुमार, निवासी सैक्टर नं० 3. हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

5. किरण पत्नि राजेन्द्र कुमार, निवासी सैक्टर नं० 3. हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

6. निशु पुत्र अशोक कुमार, निवासी सैक्टर नं० 3. हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

7. विक्की पुत्र अशोक कुमार, निवासी सैक्टर नं० 3. हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

––गैरनिगराकार

निगरानी विरूद्व आदेश दिनांक 26.10.2023, मैनादेवी बनाम राजेन्द्र कुमार आदि, अन्तर्गत धारा 302, 201 भा.दं.सं., परिवाद संख्या 192/2017 अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ, द्वारा श्री रवि प्रकाश बाकोलिया, आर.जे.एस.

उपस्थितिः–

1. अधिवक्ता श्री सुखवीर सिंह भाम्भू निगराकार की ओर।
2. अधिवक्ता श्री अरविन्द बिश्नोई, गैरनिगराकार की ओर से।
3. अपर लोक अभियोजक–राज्य की ओर से उपस्थिति।

– निर्णय – दिनांक : 24.07.2026

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य अनुसार निगरानीकर्ता/परिवादिया ने एक इस्तगतासा न्यायिक मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ (जिसे आगे विचारण न्यायालय के नाम से संबंधित किया जायेगा) इस आशय का प्रस्तुत किया कि मुस्तगीसा के पति बृजमोहन अग्रग्राल की मृत्यु दिनांक 10.04.2017 को हो चुकी थी। तब मुस्तगीसा सिरसा गई हुई थी। मुस्तगीसा को मुस्तगीसा के पति की मृत्यु की सूचना मिलने पर मुस्तगीसा हनुमानगढ़ टाउन के लिये रवाना हुई व मुस्तगीसा ने अपने देवर मुल्जिम राजेन्द्र कुमार से बात की कि वह व उसका बेटा हनुमानगढ़ आ रहे हैं, पहुंचने के बांद ही मुस्तगीसा के पति का अंतिम संस्कार करना। मुस्तगीसा के देवर मुल्जिम राजेश कुमार, अशोक कुमार, रमा, किरण, निशु व विक्की आदि ने सभी रिश्तेदारों में अलग–अलग समय बताकर मुस्तगीसा को गुमराह कर मुस्तगीसा एवं उसके पुत्र के पहुंचने से पहले ही मुस्तगीसा के पति बृजमोहन का अंतिम संस्कार करवाकर आपराधिक कृत्य किया है। मुल्जिमान ने एक राय होकर मुस्तगीसा के पति की हत्या करने के बाद बिना मुस्तगीसा की सहमति व उसकी उपस्थिति के बिना पोस्टमार्टम करवाये, अंतिम संस्कार कर दिया। मुल्जिमान का उक्त कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201 भा.दं.सं. की हद को पहुंचता है। उक्त इस्तगासा पर विचारण न्यायालय द्वारा धारा 200 सीआरपीसी के अंतर्गत जांच किया जाना उचित पाये जाने पर परिवादिया के बयान लेखबद्ध करने के पश्चात जांच हेतु धारा 202 सीआरपीसी के अंतर्गत पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन को प्रेषित किया। तत्पश्चात् पुलिस जांच रिपोर्ट पेश होने के बाद न्यायालय के द्वारा दिनांक 29.04.2019 के आदेश द्वारा इस्तगासा खारिज कर दिया गया। जिस पर परिबादिया के द्वारा निगरानी याचिका माननीय सेशन न्यायाधीश, हनुमानगढ़ में पेश की गई, जिस पर माननीय सेशन न्यायालय के द्वारा दिनांक 18.03.2021 के आदेश द्वारा परिवादिया की निगरानी को स्वीकार कर न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 29.04.2019 को अपास्त कर पुनः

धारा 202 दं.प्र.सं. के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि अनुसार कार्यवाही किये जाने का आदेश प्रदान किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा पुनः परिवांदिया मैना देवी को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान किया गया, जिस पर परिवादिया के द्वारा स्वयं के बयान बतौर गवाह सी.ड.1, सी.ड.2 बजरंग, सी.ड.3 मीनू देवी, सी.ड.4 किरण के बयान लेखबद्ध किये जाकर आक्षेपित आदेश पारित करते हुए परिवादिया द्वारा प्रस्तुत परिवाद में कार्यवाही किये जाने के कोई पर्याप्त आधार मौजूद नहीं होने से परिवादिया का परिवाद धारा 203 सीआरपीसी के अंतर्गत खारिज किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

बहस निगरानी सुनी गयी। बहस में निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने निगरानी मीमो में ही अंकित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए तर्क दिया कि परिवादिया के पति बृजमोहन की सम्पत्ति के लालच में हत्या कर परिवादिया को सूचना होने और परिवादिया व उसके पुत्र द्वारा उनके पहुंचने तक अंतिम संस्कार नहीं करने का तथ्य विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली पर मौजूद होने के बावजूद भी आरोपीगण द्वारा परिवादिया व उसके पुत्र के पहुंचने से पहले ही उसके पति का गुपचुप तरीके से अंतिम संस्कार कर साक्ष्य का विलोपन किया गया। उसके पति की हत्या करने का तथ्य पत्रावली पर मौजूद होने और उनके अनुपस्थिति में उसके पति का अंतिम संस्कार करने का तथ्य होने के बावजूद भी विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करने में विधिक भूल कारित की है। अतः उनकी निगरानी स्वीकार की जाकर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 26.10.2023 अपास्त किया जावे।

जिसका विरोध करते हुए विद्वान अपर लोक अभियोजक व गैर निगरानीदारान के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष परिवादिया के पति की हत्या करने बाबत कोई साक्ष्य नहीं होने, परिवादिया व उसके पुत्र को सूचना दिये जाने के बावजूद भी उनके जानबूझकर अंतिम संस्कार के समय तक नहीं आने, परिवादिया स्वयं के साथ उसके पति के मतभेद होने और सम्पत्ति का कोई विवाद नहीं होकर पूर्व से ही परिवादिया की सास द्वारा बंटवारानामा करने जिसके आधार पर पक्षकारों के काबिज होने और मैना देवी द्वारा पूर्व में किए गए मुकदमे खारिज होने के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा जो आक्षेपित आदेश पारित

किया है वह पत्रावली पर आयी साक्ष्य के सर्वथा अनुरूप पारित किया गया है। वस्तुतः परिवादिया मुकदमेबाजी की आदि है जो गैरनिगरानीदारान व उसके परिवार वालों पर मुकदमा करती रहती है। इसी रंजिशवश यह झूठी निगरानी उन्हें तंग परेशान करने के लिए प्रस्तुत की है। अतः निगराकार की निगरानी भारी खर्चे सहित खारिज फरमायी जावे। उन्होंने अपनी बहस के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस.बी. क्रि.मि. पेटिशन नं. 2195/2014 मनीषा जैन बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.05.2026 की प्रति प्रस्तुत की।

मेरे द्वारा उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत तथ्यों व तर्को पर मनन किया गया। पत्रावली व संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु है कि–

आया विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 26.10.2023 शुद्धता, वैधता व औचित्यता की कसौटी पर खरा उतरने से पुष्ट किये जाने योग्य है अथवा नहीं?

इस संबंध में यदि विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व आक्षेपित आदेश का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जाये तो पुलिस द्वारा धारा 202 सीआरपीसी के तहत अपनी जांच रिपोर्ट में नकारात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। घटना दिनांक 10.04.2017 की बतायी गयी है। परिवादिया के पुत्र बजरंग द्वारा सर्वप्रथम दिनांक 10.04.2017 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है उसमें परिवादिया के पुत्र द्वारा मृतक की हत्या करने के संबंध में कोई कथन ही नहीं किया गया है। परिवादिया स्वयं द्वारा दिनांक 08.06.2017 को जो पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ को मुकदमा दर्ज करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है उसमें उसके द्वारा अपने पति की हत्या करने बाबत कोई कथन नहीं कर मात्र उनके पहुंचने के बाद उसके पति का अंतिम संस्कार करने का कहना और सभी रिश्तेदारों में अलग अलग समय बताकर उसके व उसके पुत्र के पहुंचने से पहले ही अंतिम संस्कार करने के कारण गैरनिगरानीदारान के विरूद्ध मात्र मुकदमा पेश कर कानूनी कार्यवाही करना अभिलिखित किया है। करीब 3 माह पश्चात दिनांक 04.09.2017 को पुलिस अधीक्षक को दिए गए प्रार्थना पत्र में परिवादिया द्वारा अपने पति की हत्या बाबत कथन किया गया है। इस संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से यह भी प्रकट हो रहा है कि परिवादिया द्वारा जो दिनांक 16.10.2017 व

10.07.2023 को बयान लेखबद्ध किये गये उनमें भी विरोधाभास है। जहां दिनांक 16.10.2017 को हुए बयानों में उसके वापिस आने से पहले ही उसके पति का पोस्टमार्टम नहीं करवा दाग दे देना का कथन किया है। वहीं दिनांक 10.07.2023 के बयानों में कथन किया कि ''वह व उसका लडका बजरंग, किरण देवी व मीनू देवी वहां मौजूद थी। तो देखा कि उसके पति को बिना पोस्टमार्टम के जला दिया'' दोनों ही बयान परस्पर विरोधाभासी है। एक तरफ अनुपस्थिति में मृतक का अंतिम संस्कार करने का कथन किया है वहीं दूसरी तरफ बिना पोस्टमार्टम के लाश जलाने का कथन किया है। विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से यह भी प्रकट हो रहा है कि परिवादिया का पति परिवादिया के पास नहीं रहता था। आरोपीगण के पास रहता था। इस संबंध में पुलिस द्वारा की गयी जांच में यह तथ्य भी प्रकट हो रहा है कि परिवादिया व उसके पुत्र को परिवादिया के पति बृजमोहन के निधन बाबत सूचना दे दी थी। परन्तु परिवादिया व उसके पुत्र उपस्थित नहीं हुए और उनका फोन भी स्वीच ऑफ आता रहा। मृतक बृजमोहन पुरूषोत्तम दास के मकान में रहता था। जिसने भी अपने पुलिस बयानों में बृजमोहन की स्वाभाविक मृत्यु बाबत कथन किए हैं। विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से यह भी प्रकट हो रहा है कि सी.ड. 2 बजरंग, सी.ड. 3 मीनू देवी व सी.ड. 4 किरण बृजमोहन की मृत्यु के समय मौका पर उपस्थित नहीं थे। इनमें से किसी भी साक्षी द्वारा बृजमोहन की आरोपीगण द्वारा हत्या करते देखी हो ऐसी विचारण न्यायालय के समक्ष कोई साक्ष्य नहीं है। मात्र अनुपस्थिति में अंतिम संस्कार करने, जिस बाबत भी पत्रावली पर परिवादिया व उसके पुत्र को सूचना दिए जाने का तथ्य होने से यह नहीं कहा जा सकता कि आरोपीगण द्वारा परिवादिया के पति बृजमोहन की हत्या कर साक्ष्य का विलोपन करने के आशय से शव को जलाया गया हो। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर इस प्रकार की कोई साक्ष्य निगरानी न्यायालय के विनम्र मत में मौजूद नहीं है कि परिवादिया के पति बृजमोहन की आरोपीगण द्वारा हत्या कर दी गयी हो और हत्या सम्पत्ति के विवाद को लेकर की गयी हो। क्योंकि पत्रावली पर पूर्व से ही परिवादिया की सास द्वारा बंटवारानामा किए जाने का तथ्य भी पत्रावली पर मौजूद है।

ऐसी स्थिति में उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा जो आक्षेपित पारित किया है वह निगरानी न्यायालय के विनम्र मत में पत्रावली पर आयी साक्ष्य के अनुरूप ही पारित किया जाना होने से शुद्धता, वैधता व औचित्यता की कसौटी

पर खरा उतरने पर पुष्ट किये जाने योग्य है एवं निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचन से निगरानीकार मैनादेवी द्वारा प्रस्तुत निगरानी विरूद्ध राजस्थान राज्य व राजेन्द्र कुमार आदि अस्वीकार किये जाने योग्य होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 26.10.2023 को शुद्धता, वैधता व औचित्यता की कसौटी पर खरा उतरने पर पुष्ट किया जाता हे। आदेश की प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को प्रेषित की जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

RAMIT LEKHRA

Digitally signed by RAMIT LEKHRA
Date: 2026.07.27 12:30:28 +0000